कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।

पत्र संख्याः /आई0आर0डी0–2025 (प0म0भ0इंजी0) दिनांक 2025

:: कार्यालय–ज्ञाप ::

राज्य में 50 या 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग कारखानों में नियोजित समस्त श्रेणी के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्तों की गणना के लिए शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–4/2016/873/छत्तीस–1–2016–549(एस0टी0)/8 दिनांक 14.09.2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के 239 अंकों के ऊपर मंहगाई को शत–प्रतिशत निष्प्रभावी किये जाने का प्रावधान है। मंहगाई भत्ते का समायोजन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर 01 फरवरी से पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर माह तक एवं 01 अगस्त से उसी वर्ष के जनवरी से जून माह तक अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर किये जाने का प्रावधान है।

उक्त के क्रम में अभियंत्रण इकाईयों में कार्यरत कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 239 अंकों के ऊपर जुलाई, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक सूचकांक के औसत अंक 413 पर जो 01 फरवरी, 2025 से 31 जुलाई, 2025 तक निम्नलिखित दृष्टांन्त के अनुसार समस्त श्रेणी के कर्मकारों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा।

दृष्टान्त–(500 तक अकुशल श्रेणी हेतु) –

[(413–239)X7440]÷239=(174X7440)÷239=5416.56=अर्थात रू0 5417.00 होगा।

(घनश्याम सिंह)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्याः 4225-28 /आई0आर0डी0–2025 (प0म0भ0इंजी0) दिनांक 19-02-2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराएं तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
2. उप श्रम आयुक्त (प्रवर्तन), मुख्यालय।
3. नोडल अधिकारी, आई0टी0सेल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
4. पुस्तकालय अध्यक्ष, मुख्यालय, कानपुर।

19.2.25

(घनश्याम सिंह)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।